

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा

मुकाम : बांसवाड़ा (राज.)

वादी

प्रतिवादी

डॉ. डी. डी. वेंकटराव

बनाम

वलंबत वेंकटराव

क्रिम मुकदमा-(वाद पत्र) 53,209 RTA

प्रकरण संख्या- 7 / 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8-2-2021	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री डॉ. डी. डी. वेंकटराव पिता वाला जाति श्री श्री निवासी ग्राम कोठारा गहमी व प्रि. व. प्रि. व. प्रि. द्वारा वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53,209 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण श्री वलंबत पिता वाला जाति श्री श्री निवासी ग्राम कोठारा गहमी व प्रि. व. प्रि. द्वारा ... के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 05-03-2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">h उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा</p>	
05-3-2021	<p>पत्रावली पेश। वादी के कठोर उपस्थित। अज्ञात/गण सम्मन ① से ⑤ के नाम जारी सम्मन बांड तामील प्राप्त हुए पत्रावली में शामिल किसे प्रतिवादी सम्मन ① से ⑤ कि और श्री श्री नारायण लाल मंडा, श्री तारीक अहमद, श्री इलाराम खडिमा, श्री मंगेश लाल खडिमा अम्बिकाबाई का अम्बिकाबाई पत्र अम्बिकाबाई किसे शामिल पत्रावली किसे जमा जवाब हेतु सम्मन चाहे है पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05-04-2021 को पेश हो।</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

19-7-22 पत्रावली फेरा इरी उग्रपत्र उपाहित लक्ष्मिधारा
 का विवेचन लोकोपनिषद् जारी। पत्रावली
 द्वारा किया गया लोकोपनिषद् शान्ति मीसल
 होकर पत्रावली वाले साधुवादी डिपेंड -
 29-8-22 को फेरा है

29-8-22 पत्रावली फेरा इरी आधिवक्ता जारी, आधिवक्ता
 प्रतिवादी अनुपाहित करि। न्यायालय में आ-वा
 विपक्षित अन्तर्गत पर आधिवक्ता लक्ष्मिधारी गरी
 फिद भी न तो जारी और न ही आधिवक्ता जारी
 व प्रतिवादी आधिवक्ता उपाहित न ही आधिव
 अतः पत्रावली/वाड का निन्तापुं कतेमति
 कोत्रा 9 नियम 3 सीपीसी के तहत किया जाना
 उचित है।
 पत्रावली/वाड अग्रपत्र उग्रपत्र
 में विहित किया जाता है। पत्रावली फेरा
 शुभ हो गवतान में कस की वापस दाखिल
 दस्ता है।
 निर्वम किया जाकर लो इवलास
 मूकता गया

उपखण्ड अधिकारी
 बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)